संख्या- 442 /नौ-8-2016-20ज/12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

2 समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

3 समस्त अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 24 फरवरी, 2016

विषय:-नगर विकास विभाग द्वारा जनसामान्य को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑन लाइन आवेदन स्वीकार करने व सम्बन्धित प्राधिकारी की डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑन लाइन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1029/9-8-12-20ज/12 दिनांक 28.05.2012 एवं पत्र संख्या-1577/9-8-12-20ज/12 दिनांक 24.07.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जन्म मृत्य प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण मिशन मोड प्रोजेक्ट फार म्यूनिसिपलटीज का क्रियान्वयन नगरीय क्षेत्रों में आम जनसामन्य को समस्त नागरिक सेवाओं को गति एवं पारदर्शिता के साथ इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है।इस परियोजना का क्रियान्वयन कार्यदायी संस्था एन.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त परियोजना के अन्तर्गत तैयार कराये गये राज्य स्तरीय ई-नगर सेवा पोर्टल का एस0एस0डी0जी0/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन भी किया जा रहा है।

GO R

3- एस0एस0डी0जी0/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से दी जा रही 09 विभागों की 26 सेवाओं तथा अन्य विभागों की चिन्हित 90 सेवाओं को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1560/78-2-2015-53आई0टी0/2008 दिनांक 23.09.2015 द्वारा एस0एस0डी0जी0/ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से शासकीय सेवाओं को केवल इलेक्ट्रानिक प्रणाली से प्रदान किये जाने के दिशा-निर्देश प्रसारित करने एवं मैनुअल प्रक्रिया को समाप्त किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 01 मार्च, 2016 से जनसामान्य को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं डुप्लीकेट प्रति) इलेक्ट्रानिक माध्यम से ऑन लाइन लिया जाये व डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ऑन लाइन ही निर्गत किये जायेंगे एवं किसी भी अवस्था में मैनुअल आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कृपया समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण करते हुए आदेश का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

24/2/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या:- (1)/नौ-8-16तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स उत्तर प्रदेश।
6- सी0ई0ओ0, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

GOR